Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11–2026] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026 (PHALGUNA 20, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 10 मार्च, 2026

क्रमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय).– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12.03.2026 से 11.06.2026 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

सुधीर राजपाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

चण्डीगढ :
दिनांक 07 मार्च, 2026

12445—C.S.—H.G.P., Pkl.